

प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के उपबंधों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा में तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अन्तर्गत तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सम्बन्धित विभागों सहित राज्य की पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल किये गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 2015-16 की अवधि हेतु की गयी नमूना लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ, पूर्ववर्ती वर्षों में संज्ञान में आये प्रकरणों, जो विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके, को भी आवश्यकतानुरूप सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।